



Neutral Citation No. 2026:AHC:21038

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 372 / 2026

सुधा देवी

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

कृपा शंकर तिवारी

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्याया कक्ष संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कृपा शंकर तिवारी और राज्य-प्रत्यर्थी के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री टी.पी. गुप्ता को सुना गया।

2. यह याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"I. परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता द्वारा दायर मामले/पुनरीक्षण संख्या आरईवी/4948/2025/ मिर्जापुर कम्प्यूटराइज्ड मुकदमा संख्या एएल20251653004948 (सुधा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के तहत एक निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारित करे।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के तहत दायर की गई उपर्युक्त पुनरीक्षण याचिका जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 34/35 के तहत की गई कार्यवाही से उत्पन्न हुई है नवंबर 2025 से प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि उपर्युक्त पुनरीक्षण याचिका के शीघ्र निस्तारण के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।

4. मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना तथा तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उ० प्र० प्रयागराज को निर्देश दिया जाता है कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 210 के तहत दायर उपर्युक्त पुनरीक्षण याचिका संख्या आरईवी/4948/2025/मिर्जापुर कम्प्यूटरिकृत मुकदमा संख्या एएल20251653004948 (सुधा देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) का निर्णय पक्षों को कानून के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद शीघ्रतापूर्वक और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर करें।

5. तदनुसार यह रिट याचिका अंतिम रूप से *निस्तारित* की जाती है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

30 जनवरी 2026

रमीज़

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"